कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

कार्यालय दूरभाष संख्या–05271–245250 फैक्स सं0–244345 ई–मेल : dmamb@nic.in
कन्ट्रोल रूम नं0–05271–244250, 244550, 244551, 244552 Mo. No. 9455406870, 9455406280

पत्रांक : / जे0ए0 / 2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी अम्बेडकरनगर ने अपने पत्र संख्या 1149 दिनांक 03.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अम्बेडकरनगर में 05 (पांच) व्यक्ति **(कोविड–19)** कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	तहसील का नाम	ब्लाक / न0पा0प0	थाना का नाम	राजस्व ग्राम / पुरवा / न0पा0प0 / मोहल्ला नाम	संक्रमित व्यक्तियों की संख्या
01	अकबरपुर	न0पा0प0अकबरपुर	अकबरपुर	मोहसिनपुर	01
02	जलालपुर	भियांव	जैतपुर	सईदपुर–रफीगंज भियांव	01
03	टाण्डा	बसखारी	बसखारी	देवहट बसखारी	01
04	अकबरपुर	अकबरपुर	राममनपुर	सिकन्दरपुर, अकबरपुर	01
05	जलालपुर	भियांव	जैतपुर	शेखपुर–पलिवारी	01

उपरोक्तानुसार पाये गये **(कोविड–19)** कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण, संक्रमण फैलाव रोकने / बचाव / प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 03.07.2020 को अग्रिम आदेश तक तक अस्थायी रूप से सील किया जाना तथा उसमें प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संचालन अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबन्धित किया जाना एवं उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को अपने–अपने घरों (इन्डोर) में रहने के दृष्टिगत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 195 / एक–11– 2020–रा0–11 दिनांकः 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (डी) तथा उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (जी) में किये गये प्राविधान के क्रम में कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को **"आपदा"** घोषित किया गया है।

नोवेल कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–डीएम–1(ए) दिनांक 29.06.2020 अनलॉक–2 के सम्बन्ध में जारी निर्देश तद्क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या 1686 / 2020 / सीएक्स–3 दिनांक 30.06.2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1324 / सेक–पॉच–5–2020 दिनांक 23.06.2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548 / पॉच–5–2020 दिनांक 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनिमावली 2020 के प्रस्तर–12 एवं शासनादेश संख्या 793 / पॉच–5–2020 दिनांक 6.04.2020 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, राकेश कुमार मिश्र जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर उपरोक्त सम्बन्धित क्षेत्र को सील करने एवं कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए, निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–

1. नगर पालिका परिषद स्थित वार्ड संख्या 10 मोहसिनपुर मंसूरपुर(धनात्मक कोविड–19 केस को केन्द्र मानते हुए) 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र / पूरा मोहल्ला सील किया जाता है।
2. ग्राम–रफीगंज (सईदपुर) में संक्रमित व्यक्ति का पुरवा सील किया जाता है।
3. ग्राम–देवहट(ईदईया) में संक्रमित व्यक्ति का पुरवा सील किया जाता है।
4. ग्राम–हरपुर, सिकन्दरपुर में संक्रमित व्यक्ति का पुरवा सील किया जाता है।
5. ग्राम–शेखपुर पलिवारी मे संक्रमित व्यक्ति का पुरवा सील किया जाता है।
6. उपरोक्त अस्थायी रूप से सील किये परिक्षेत्र में प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संचालन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।
7. सील किये गये परिक्षेत्र मे अन्दर–बाहर किसी व्यक्ति, वाहन इत्यादि का आवागमन अपरिहार्य परिस्थितियो मे यथा–चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किये वाहन पास / अनुमति पत्र के आधार पर अनुमन्य होगा।

Scanned with CamScanner

8. चिन्हित/सील किये गये क्षेत्र में लगाये गये लोकरोचक, पुलिस, स्वास्थ विभाग एवं सफाई कर्मियों के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

9. चिन्हित क्षेत्र में 24 घंटे थानों व 112 के वाहनों की पेट्रोलिंग की जायेगी।

10. उक्त क्षेत्र में भारत सरकार के स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी Standard Operating Protocol (SOP) में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन तथा उक्त क्षेत्रों के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त क्षेत्र में बिना चेकिंग के किसी भी व्यक्तियों और परिवहन आदि की अनुमति नहीं होगी।

12. उक्त क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जायेगा।

13. उक्त के अलावा अन्य किसी सेवा की अनुमति नही होगी।

14. उक्त सील सीमा/हॉटस्पाट मे शान्ति-सुरक्षा एव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट के रूप में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी गयी है।

15. सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सील क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा को चिन्हित करते हुए, पूरी तरह से बैरीकेट कराना सुनिश्चित करेगे।

16. उक्त सील किये गये परिक्षेत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 15.05.2020 एवं 13.06.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार हाट-स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से नियत अवधि मे कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न हुआ हो, तो उस हाट-स्पाट को बन्द तथा कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त करने की कार्यवाही की जानी होगी। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने संयुक्त हस्ताक्षर से संक्रमित व्यक्ति व कान्टेक्ट व्यक्ति के निगेटिव रिपोर्ट के उल्लेख के साथ आख्या समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन्1960) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाना समझा जायेगा।

किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम के उपरोक्त नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(राकेश कुमार मिश्र)
जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. विशेष सचिव, केन्द्रीय स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
4. आयुक्त महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर ।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर को अग्रेतर कार्यवाही एवं आदेश की प्रति केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार को जरिये ई-मेल भेजने हेतु।
8. अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ।
9. अपर पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकरनकर।
11. सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी, जनपद-अम्बेडकरनगर।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अम्बेडकरनगर को उपरोक्त आदेश को वेबसाइट पर प्रदर्शित/नोटिफाइड करने हेतु।
13. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
14. नाजिर सदर अम्बेडकरनगर, को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।